अनुदान संख्या 30 - आर्थिक कार्य विभाग
GRANT No. 30 - DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	6736,88,00		7312,35,00	6216,54,63	-1095,80,37
पूरक	Supplementary	575,47,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1081,15,35
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	13189,92,00		13189,93,00	5917,16,39	-7272,76,61
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7440,35,51

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में समग्र बचतें (₹109580.37 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹57547.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹109580.37 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹57547.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	21128.00			
पू.	S.	2362.00	18495.64	17980.24	-515.40
पु.	R.	-4994.36			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"				
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services				
मू.	O.	1611.00			
			759.15	738.73	-20.42
पु.	R.	-851.85			
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"				
कृषि वित्तीय संस्थान	Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	12000.00			
पू.	S.	1440.00	13051.92	13051.92	..
पु.	R.	-388.08			
मुख्य शीर्ष "3466"	Major Head "3466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	International Financial Institutions				
मू.	O.	59354.00			
पू.	S.	1.00	68122.72	67708.99	-413.73
पु.	R.	8767.72			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	339250.00			
पू.	S.	51062.00	265524.93	265542.82	+17.89
पु.	R.	-124787.07			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Cooperation with other countries				
मू.	O.	138300.00			
पू.	S.	2681.00	155662.57	155231.25	-431.32
पु.	R.	14681.57			

(I) अठारह शीर्षों के अंतर्गत ₹91999.00 लाख (₹44862.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹91961.00 लाख मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹91999.00 lakhs (including supplementary grant of ₹44862.00 lakhs) remained wholly unutilized under eighteen heads; of these ₹91961.00 lakhs accounted for under the Major Head "3475" under the following heads: -

(का) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता" –

(A) "Financial Support for Infrastructure Development" -

(क) "अवसंरचना विकास के लिए सहायता – अंतर पाटने के लिए निधियन व्यवहार्यता" – ₹84861.00 लाख (₹44861.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(a) "Assistance for Infrastructure Development - Viability Gap Funding" - ₹84861.00 lakhs (including supplementary grant of ₹44861.00 lakhs); and

(ख) "भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)" – ₹5000.00 लाख

(b) "India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF)" - ₹5000.00 lakhs

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम मांग संचालित होने के नाते परियोजना की प्रायोजनकर्ता प्राधिकरणों से अंतर पाटने के लिए व्यवहार्य निधि स्कीम से निधियां जारी करने का अनुरोध प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of request for release of funds in Viability Gap Funding Scheme from Project Sponsoring Authorities, scheme being demand driven.

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि में अंशदान" – ₹2100.00 लाख – विदेश

(B) "International Co-operation - Contribution to Common-wealth Fund for Technical Cooperation" -

मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार अंशदान जारी नहीं होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" – "आरक्षी निधि / जमा लेखे – स्वर्ण आरक्षी निधि" – ₹249800.00 लाख का मूल प्रावधान ₹6200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹256000.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹13515.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) योजना के अंतर्गत कम स्वर्ण जुडने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आर्थिक कार्य विभाग" के अंतर्गत – ₹16326.00 लाख का मूल प्रावधान ₹2362.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹18688.00 लाख तक बढाया गया, जिसमें से, तथापि, रिक्त पदों को नही भरे जाने, स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन बिल्डिंग के किराये पर लिए गए तल पर पुनरोद्धार कार्य में विलंब होने और स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹1261.04 लाख तक की राशि अप्रयुक्त रही।

(IV) मुख्य शीर्ष "2416" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि (आई एफ ए डी) में योगदान के अंतर्गत – ₹12000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹1440.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹13440.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो तथापि विनिमय दर में अंतर के कारण ₹388.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(V) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – जी–20 भारत की अध्यक्षता 2022" के अंतर्गत – ₹3838.30 लाख की बचत (₹4180.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावे प्राप्त होने में देरी और औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण निपटान लंबित रहने से हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2047" – "लघु बचतों को बढावा – राष्ट्रीय बचत संस्थान" – ₹867.07 लाख की बचत (₹1578.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने, संस्थान की पुनर्संरचना के चलते स्थापना कर्मियों

₹2100.00 lakhs - due to non-release of contribution as advised by the Ministry of External Affairs.

(II) Under Major Head "3475" - "Transfer to Reserve Fund/Deposit Accounts - Gold Reserve Fund" - the original provision of ₹249800.00 lakhs was augmented to ₹256000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹13515.00 lakhs (including supplementary grant) - due to less mobilization of gold under the scheme.

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Economic Affairs" - the original provision of ₹16326.00 lakhs was augmented to ₹18688.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2362.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1261.04 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, delay in renovation work at hired floor of State Trading Corporation building and receipt of less claims towards establishment expenditure.

(IV) Under Major Head "2416" - "International Co-operation - Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD)" - the original provision of ₹12000.00 lakhs was augmented to ₹13440.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1440.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹388.08 lakhs - due to exchange rate variation.

(V) Under Major Head "2052" - "Secretariat - G-20 India Presidency 2022" - saving of ₹3838.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4180.00 lakhs) was due to delay in receipt of the claims and pending clearance owing to non-fulfillment of formalities.

(VI) Under Major Head "2047" - "Promotion of Small Savings - National Savings Institute" - saving of ₹867.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1578.00 lakhs) was due to winding-up of regional

की कमी और स्थापना व्यय से संबंधित कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

offices, reduction in establishment strength owing to restructuring of the institute and receipt of less bills related to establishment expenses.

(VII) मुख्य शीर्ष "3475" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(VII) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में क्षमता निर्माण" – ₹2075.26 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द होने और कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई ।

(A) "Financial Support for Infrastructure Development - Training for Capacity Building in Central government, State governments, PSEs, Autonomous bodies/Institutions" - saving of ₹2075.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to cancellation of training programmes and receipt of less claims.

(खा) "स्वर्ण विमुद्रीकरण योजना, 2015 के लिए कमीशन – कमीशन का भुगतान" – ₹2522.15 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत कम स्वर्ण जुटने के कारण हुई।

(B) "Commission for Gold Monetization Scheme, 2015 - Commission Payment" - saving of ₹2522.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to less mobilisation of gold under the scheme.

(गा) "अन्य व्यय" –

(C) "Other Expenditure" -

(क) "भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण" – ₹857.31 लाख की बचत (₹1380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने, परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा विलंब से कार्यभार ग्रहण करने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द करने और कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Training of Indian Economic Service Officers" - saving of ₹857.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1380.00 lakhs) was due to cancellation of training programmes owing to non-receipt of adequate number of applications, late joining of probationers and receipt of less bills.

(ख) "अनुदान सहायता – सामान्य" – ₹14478.84 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में निविदाताओं की भागीदारी के चलते निविदाएं रद्द करने और अर्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) परियोजनाओं से संबंधित दिशा निर्देश देरी से अनुमोदित होने के कारण हुई।

(b) "Grants-in-aid-General" - saving of ₹14478.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22774.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to cancellation of tenders owing to lack of participation of the bidder and late approval of guidelines related to International Financial Services Centre Authority (IFSCA) projects.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹467.66 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान की 27 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹22848.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹2682.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "3466" – "विश्व बैंक – महामारी निवारण, तैयारी और अनुक्रिया के लिए अंशदान (महामारी निधि)" – ₹8634.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8222.68 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" – "अन्य देशों के साथ सहयोग – भारतीय विकास और आर्थिक सहायता स्कीम (आईडीईए) के अंतर्गत क्रेडिट लाइनों के लिए ब्याज तुल्यता सहायता" – ₹14214.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹14213.57 लाख हुआ।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "3475" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – एड्स, टीबी और मलेरिया (जीएफएटीएम) के लिए वैश्विक निधि में अंशदान" के अंतर्गत – विनिमय दर के विचलन के कारण हुए ₹655.21 लाख के अधिक व्यय (₹5740.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में अभ्यर्पित की गई राशि (₹744035.51 लाख) ₹727276.61 लाख की समग्र बचत से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

(VIII) Under one head saving of ₹467.66 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹22848.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹2682.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "3466" - "World Bank - Contribution to Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (the Pandemic Fund)" - ₹8634.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8222.68 lakhs.

(B) Major Head "3605" - "Cooperation with other countries - Interest Equalization Support for Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)" - ₹14214.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14213.57 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3475" - "International Co-operation - Contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM)" - excess of ₹655.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5740.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹744035.51 lakhs) exceeded the overall savings of ₹727276.61 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving-
					(लाख रुपयों में)
मुख्य शीर्ष "4046"	Major Head "4046"				
मुद्रा, सिक्का ढलाई तथा टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint				
मू.	O.	351800.00	201884.16	219651.02	+17766.86
पु.	R.	-149915.84			
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	750001.00	270135.37	270134.36	-1.01
पु.	R.	-479865.63			
मुख्य शीर्ष "5466"	Major Head "5466"				
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	174069.00	77281.22	76290.61	-990.61
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-96788.78			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other General Economic Services				
मू.	O.	10001.00	942.00	941.00	-1.00
पु.	R.	-9059.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6416" कृषि और वित्तीय संस्थानों को ऋण	Major Head "6416" Loans to Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	5002.00	5529.89	5529.88	-0.01
पु.	R.	527.89			
मुख्य शीर्ष "7610" सरकारी सेवकों आदि को ऋण	Major Head "7610" Loans to Government Servants etc.				
मू.	O.	25000.00	15990.00	15975.68	-14.32
पु.	R.	-9010.00			

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹200030.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, इसमें से ₹200000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹200030.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹200000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश – एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वित्त पोषण प्लेटफार्म में पूंजी आवाह" – ₹100000.00 लाख – निवेशों को मूर्त रूप नहीं देने के कारण।

(A) Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and other Undertakings, Banks, etc - Capital Infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform" - ₹100000.00 lakhs - due to non-materialisation of investments.

(खा) मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष – मूल्य रखरखाव (एमओवी) बाध्यकारिता" – ₹100000.00 लाख – मांग संख्या 40 – ऋण का पुनर्भुगतान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रतिभूतियों के नकदीकरण द्वारा किए गए निवेश के कारण।

(B) Major Head "5466" - "International Monetary Fund -Maintenance of Value (MOV) obligation" - ₹100000.00 lakhs - due to investments were made by way of encashment of Securities to International Monetary Fund from Demand No. 40-Repayment of Debt.

(II) मुख्य शीर्ष "4046" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "स्वर्ण की खरीद – स्वर्ण विमुद्रीकरण स्कीम, 2015" – ₹91079.21 लाख की बचत (₹200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के अंतर्गत स्वर्ण के कम जुडाव के कारण हुई।

(खा) "भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद" – ₹41069.77 लाख की बचत (₹151800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्कों के उचित बिक्री मूल्य (एफएसपी) को अंतिम रूप नही दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश" –

(का) "राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश" – ₹331865.64 लाख की बचत (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "वहनीय और मध्यम आय वर्ग आवासन के लिए विशेष विडो" – ₹48000.00 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम निवेशों को मूर्त रूप देने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "5475" – "अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता – अवसंरचना विकास के लिए सहायता – अंतर निधियन व्यवहार्यता" के अंतर्गत ₹9059.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम मांग संचालित होने के नाते परियोजना प्रायोजनकर्ता प्राधिकरणों से अंतर निधियन व्यवहार्यता स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4046" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Purchase of Gold - Gold Monetization Scheme 2015" - saving of ₹91079.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200000.00 lakhs) was due to less mobilisation of gold under the scheme.

(B) "Purchase of Coins from Security Printing & Minting Corporation of India Limited - Coins" - saving of ₹41069.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151800.00 lakhs) was due to non-finalisation of fair selling price (FSP) of coins.

(III) Under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings, Banks, etc." -

(A) "Investment into National Investment and Infrastructure Fund" - saving of ₹331865.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500000.00 lakhs); and

(B) "Special Window for Affordable and Middle-Income Housing" - saving of ₹48000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less materialisation of investments.

(IV) Under Major Head "5475" - "Financial Support for Infrastructure Development - Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding" - saving of ₹9059.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-receipt of request for release of funds under Viability Gap Funding Scheme from Project Sponsoring Authorities owing to scheme being demand driven.

(V) मुख्य शीर्ष "7610" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "गृह निर्माण अग्रिम – मंत्रालय और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन" – ₹6628.55 लाख की बचत (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "कंप्यूटर खरीद के लिए अग्रिम – कंप्यूटर और अन्य उपकरण आदि खरीदने के लिए अग्रिम" – ₹2371.77 लाख की बचत (₹7476.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अग्रिम के लिए कम मांग के कारण हुईं।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2766.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "5466" – "अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) में निवेश – अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) में अंशदान" – दिसंबर, 2022 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को सूचित कर दिया गया था। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2152.50 लाख हुआ।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "6416" – "अन्य ऋण – रियायती भागीदारी ऋण (सीपीएल) के अधीन विनिमय दर में विचलन" के कारण हुए ₹527.88 लाख (₹5002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

5. निर्भया निधि:–

2013–14 में स्थापित 'निर्भया निधि' उन टिकाऊ उपायों/अंतःक्षेपों की निधियन के लिए उपयोग की जाती है जो महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत को पर्याप्त रूप से बढाते हैं और जो काफी लंबे समय से टिकाऊ और प्रभावी हैं। इस निधि का प्रयोजन बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करते हुए उनको सशक्त बनाने की दिशा में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों

(V) Under Major Head "7610" - savings occurred under the following heads:-

(A) "House Building Advances- Ministries & Union Territory Administrations" - saving of ₹6628.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs); and

(B) "Advances for purchase of Computers - Advances for purchase of Computers and other peripherals etc." - saving of ₹2371.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7476.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less demand for the advance.

4.(I) The above savings were partly (₹2766.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head "5466" - "Investments in the International Bank for Reconstruction and Development - Subscription to the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)". Actual excess however, was ₹2152.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "6416" - "Other Loans - Concessional Partner Loan (CPL)" - ₹527.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5002.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

5. Nirbhaya Fund:-

The 'Nirbhaya Fund' was established during 2013-14 to be used to fund those enduring measures/interventions which substantially enhance the safety and security of women and are sustainable and effective over a long period of time. The purpose of the fund is to finance various initiatives taken by different Ministries/Departments of the Government

को वित्त पोषित करना है। निधियों को भारत की समेंकित निधि से राजस्व व्यय शीर्ष से बजट प्रावधान द्वारा अंतरित किया जायेगा। जहाँ कहीं व्यय का आवंटन किया जाता है, 'निर्भया निधि का अंतरण' करने के लिए बजट आवंटन संबंधित अनुदान मांगों से किया जायेगा।

towards empowering girl children and women ensuring their safety and security. Funds will be transferred as per budget provisions from the Revenue Expenditure head from the Consolidated Fund of India. The budgetary allocations for 'transfer of the Nirbhaya Fund' will be made from the respective Demands for Grants where expenditure allocations are made.

2022–23 के लिए निधि का लेखा निम्न अनुसार था :–

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	2244,21,42
प्राप्तियां	Receipt	600,00,00
अदायगियां	Payments	289,99,97
अंतशेष	Closing Balance	2554,21,45

6. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधिः–

'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा' की स्थापना स्वच्छ ऊर्जा आदि मे अनुसंधानों से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए की गई थी। 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में उत्पादित कोयले पर ऊर्जा उपकर नामक लेवी लगाने का प्रस्ताव किया गया था। इसे दिनांक 22.6.2010 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 06–2010–स्वच्छ ऊर्जा उपकर के तहत अधिसूचित किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा उपकर की प्रस्तावित लेवी कर राजस्व के रूप में संग्रहित की जानी है और इस प्रकार सृजित निधि आरक्षित निधि में अंतरित की जायेगी। चिन्हित स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय के लिए प्रावधान विभिन्न कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों में किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियां भी उन्हीं कार्यात्मक शीर्षों के अंतर्गत की जायेंगी ताकि स्कीमों पर व्यय और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से वसूलियों का मिलान किया जा सके।

6. National Clean Energy Fund:-

The 'National Clean Energy Fund' was established to finance various new projects relating to researches in Clean Energy etc. In order to meet the objectives of 'National Clean Energy Fund' a levy called Energy Cess on coal produced in India was proposed. This was notified in Gazette Notification No. 06-2010 - Clean Energy Cess dt. 22.06.2010. The proposed levy of Clean Energy Cess is to be collected in the form of Tax Revenue and the funds so generated will be transferred to Reserve Fund. The provision for expenditure on identified schemes/new projects will be made in Demand for Grants of different Ministries/Departments under the functional Major Heads. The recoveries from the National Clean Energy Fund will also be made under the same functional expenditure head so the expenditure on the schemes and recovery from National Clean Energy Fund get matched.

वर्ष 2022–23 के लिए निधि का लेखा निम्न अनुसार था :–

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipt	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL

7. गारंटी उन्मोचन निधि:–

7. Guarantee Redemption Fund:-

इस निधि की स्थापना केंद्रीय सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, आदि को, जहाँ ऐसी गारंटी दी जाती है, केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटी के उन्मोचन के लिए की गई थी। निधि की पूर्ति वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले वार्षिक आवंटन से की जाती है। जब गारंटी दी जाती है तो ऐसे व्यय को संबंधित अनुदान के संबंधित ऋण शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए और निधि से वसूली की गणना भी कटौती प्रविष्टि के रूप में ऋण शीर्ष के अंतर्गत की जायेगी।

The fund was constituted for redemption of Guarantees given by the Union Government to Central Public Sector Undertakings, Financial Institutions etc., whenever such guarantees are invoked. The fund is fed by annual allocation to be made by Ministry of Finance. When the Guarantees are invoked, such expenditure may be shown under the concerned loan head of respective grant and recovery from the fund will also be accounted for under the loan head as deduct entry.

वर्ष 2022–23 के दौरान निधि का लेखा निम्न अनुसार था :–

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	7621,79,00
प्राप्तियां	Receipt	1000,00,00
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंतशेष	Closing Balance	8621,79,00